बिहार सरकार,

कृषि विभाग

पत्रांक सं0– 01/पौ0सं0सर्वे0–टा0वि0यो0 84/18–19 1082 /कृ0 पटना दिनांक, 23-11- 2018

प्रेषकः–

रवीन्द्र नाथ राय
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+)अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में टाल क्षेत्र में आकस्मिक कीट व्याधि नियंत्रण योजना अंतर्गत 365.00 लाख (तीन करोड़ पैंसठ लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में टाल क्षेत्र में आकस्मिक कीट व्याधि नियंत्रण योजना अंतर्गत 365.00 लाख (तीन करोड़ पैंसठ लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पटना जिला अंतर्गत टाल क्षेत्र के किसानों से प्राप्त सूचना/शिकायत के आलोक में मसूर, खेसारी, मटर, सरसो आदि फसलों में लगे कीट व्याधि का सर्वेक्षणोपरान्त प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं कृषि निदेशक, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में गठित पॉच सदस्यीय सर्वेक्षण टीम के प्रतिवेदन, जो संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या–1042 दिनांक 06.11.2018 से, प्राप्त है। इस प्रतिवेदन एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, बाढ़ के पौधा संरक्षण वैज्ञानिक के अनुशंसा के आलोक में आकस्मिक कीट व्याधि नियंत्रण हेतु पटना जिला अंतर्गत मोकामा टाल के गायघाट, सिधिंया, खनुआ, चाराडीह, डोमना आदि के कुल प्रभावित लगभग 20,055 हेक्टेयर क्षेत्रों में मसूर, खेसारी, मटर, सरसों आदि फसलों में लगे कीट–व्याधि के नियंत्रण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यक्ता है।

3. टाल क्षेत्र में आकस्मिक कीट व्याधि नियंत्रण योजना वर्ष 2018–19 के अंतर्गत पटना जिला के टाल में दलहनी फसलों पर विशेषकर मसूर एवं मटर के जाला कीटों तथा जीवाणु जनित रोग के प्रबंधन हेतु रासायनिक/जैव कीटनाशी, जीवाणुनाशी एवं फफूंदनाशी 50% अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। सर्वेक्षित क्षेत्र के कीट व्याधि से प्रभावित कृषकों के बीच फफूँदनाशी, जीवाणुनाशी एवं कीटनाशी के कुल लागत मूल्य के 50 प्रतिशत अधिकतम निर्धारित अनुदान की राशि घटाकर कृषकों को चयनित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिक्री की जायेगी। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अभिश्रव को सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना को उपलब्ध करायेगें। प्राप्त अभिश्रव के सत्यापन उपरान्त सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना द्वारा अनुदान की राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की कार्रवाई की जायगी।

4. योजना का कार्यान्वयन पटना जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा तथा योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होगें।

5. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पटना जिला के टाल क्षेत्र के दलहनी एवं तेलहनी आदि फसलों में लगे कीट–व्याधि के नियंत्रण हेतु किसानों को मदद पहूँचाकर दलहन/तेलहन फसल का कीट–व्याधि से बचाना तथा उत्पादन/उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है।

6. टाल क्षेत्र में आकस्मिक कीट व्याधि नियंत्रण योजना वर्ष 2018–19 में 365.00 लाख (तीन करोड़ पैंसठ लाख) रूपये की योजना का मदवार संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	कीट व्याधि नियंत्रण हेतु रसायन का नाम	अनुशंसित मात्रा /हे0	स्वीकृत दर प्रति लीटर/कि0 ग्रा0 (रू0)में	लागत मूल्य प्रति हेक्टेयर (रू0) में	अनुदान राशि (मुल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम) (रू0) में
1	कासुगामाइसीन 3% SL @ 1.5 मि0ली0 प्रति लीटर पानी **अथवा** स्ट्रेप्टोमाईसिन सल्फेट 90 %+ टेट्रासाईक्लिन हाईड्रोक्लोराईड 10% @ 1.5मि0ली0 प्रति लीटर पानी	900 मि0ली0 **अथवा** 900 मि0ली0	1350 रू0 **अथवा** 1350 रू0	**1215** रू0 **अथवा** 1215 रू0	**608.00** रू0 **अथवा** 608.00 रू0
2	इमामेक्टिन बेंजोएट 5 % SG @ 1gm प्रति लीटर पानी **अथवा** ट्राईजोफॉस 35%+ डेलटामेथ्रीन 1% EC @ 2ml प्रति लीटर पानी	600 ग्राम **अथवा** 1200 मि0ली0	4000 रू0 **अथवा** 1000 रू0	**2400 रू0** **अथवा** 1200 रू0	**1200.00 रू0** **अथवा** 600.00 रू0
3	स्टीकर @ 1मि0ली0 प्रति लीटर पानी	600 मि0ली0	40 रू0	**24 रू0**	**12.00 रू0**
	लागत मूल्य प्रति हे0			**3639 रू0**	**1820.00 रू0**
	कुल 20,055 हे0 के लिए लागत मूल्य			**7,29,80,145 रू0**	**3,65,00,100 रू0 या 3,65,00,000.00**

(तीन करोड़ पैंसठ लाख रूपये)

7. जीवाणुनाशियों/फफूँदनाशियों एंव कीटनाशियों का अनुदानित दर पर वितरण

- टाल क्षेत्र कटोरेनुमा होने के कारण वर्षा का पानी धीरे–धीरे हटता है। इस वर्ष कम वर्षा एवं टाल क्षेत्र में जल भराव नहीं होने के कारण मिट्टी में नमी की कमी हो गई है। फसल बोआई के आरम्भिक अवस्था में ही जाला कीट एवं जीवाणु जनित रोग की समस्या की उत्पन हो गई है। इसके फैलाव को प्रारम्भिक अवस्था में ही नियंत्रण हेतु प्रभावित कृषकों के बीच फफूँदनाशी, जीवाणुनाशी एवं कीटनाशी रसायन के कुल लागत मूल्य के 50 प्रतिशत अनुदान की राशि घटाकर कृषकों को आपूर्तिकर्ता द्वारा बिक्री की जायेगी । इससे कीट–व्याधि नियंत्रित होगी एवं दलहन उत्पादकता में वृद्धिं हो पायेगी।

8. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से की जाएगी।

9. वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकासी हेतु बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0106–इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, मांग संख्या–1, विपत्र कोड–01–2401001090106, विषय शीर्ष–0106.33.01 सब्सिडी	4316.00	302.95
मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0106–इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, मांग संख्या–1, विपत्र कोड–01–2401007890106, विषय शीर्ष–0106.33.01 सब्सिडी	832.00	58.40
मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0134–इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, मांग संख्या–1, विपत्र कोड–01–2401007960134, विषय शीर्ष– 0134.33.01 सब्सिडी	52.00	3.65
कुल	**5200.00**	**365.00**

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव में प्रधान सचिव कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–01/पौ0सं0सर्वे0/टा0वि0यो0 84/2018–19 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या– 06/टि0 पर दिनांक...16.11.2018 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–01/पौ0सं0सर्वे0–टा0वि0यो0 84/2018–19 टिप्पणी पृष्ट संख्या–07/टि0 पर दिनांक 19.11.2018 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–215 दिनांक..19.11.2018 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra
23.11.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक.01/पौ0सं0सर्वे0–टा0वि0यो0 84/18–19 1082 /कृ० पटना दिनांक 23-11- 2018

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले0 एंव ह0), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
23.11.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक.01/पौ0सं0सर्वे0–टा0वि0यो0 84/18–19 1082 /कृ० पटना दिनांक 23-11- 2018

प्रतिलिपिः– योजना एंव विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग,(बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rohindeo 23.11.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 01/पौ0सं0सर्वे0–टा0वि0यो0 84/18–19 1082 /कृ० पटना दिनांक 23-11- 2018

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rohindeo 23.11.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 01/पौ0सं0सर्वे0–टा0वि0यो0 84/18–19 1082 /कृ० पटना दिनांक 23-11- 2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rohindeo 23.11.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक.01/पौ0सं0सर्वे0–टा0वि0यो0 84/18–19 1082 /कृ० पटना दिनांक 23-11- 2018

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक (शष्य) पटना/जिला कृषि पदाधिकारी पटना /उप निदेशक ,पौधा संरक्षण पटना प्रमण्डल, पटना/ सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rohindeo 23.11.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 01/पौ0सं0सर्वे0–टा0वि0यो0 84/18–19 1082 /कृ० पटना दिनांक 23-11- 2018

प्रतिलिपिः– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उप कृषि निदेशक (सूचना)/आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को अनुलग्नक के साथ बेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को अनुलग्नक के साथ ई0 मेल करने हेतु प्रेषित।

Rohindeo 23.11.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना